न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–69/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00151)

1. ताराचन्द पुत्र शंकरलाल जाति माली, निवासी बनवास, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभाती पुत्र रामजीलाल, जाति महाजन, निवासी बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री बालूराम जाति महाजन, निवासी बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुन्दरलाल, जाति मेघवाल निवासी सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
4. सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी सिंघाना, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
5. नवीश कुमार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी सिंघाना, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
6. श्रीमती सन्तारा देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल, जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
7. राजस्थान लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनु, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.03.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी हाल बुहाना के निर्णय दिनांक 10.07.2015 (प्रकरण संख्या 1584/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी वर्तमान बुहाना के सामने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, वह आराजी खसरा नम्बर 447/156 रकबा 0.2 हैक्टयर के बाबत था तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तथाकथित रूप से दिनांक 22.06.2012 की मौका रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये यह निवेदन किया गया कि उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 के अनुसार पत्थरगढ़ी व तारबंघी करवाने की कृपा करें, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.06.2012 का हवाला देकर पत्थरगढी का आदेश पारित किया जो पूर्णरूप से गैरकानूनी एवं उनके क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वास्तव में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा पूर्व आदेशों का अनाधिकृत रूप से सहारा लेकर अपीलान्ट के कब्जें काश्त एवं रिकार्डेड आराजी पर कब्जा करना चाहता था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नचिन्ह आदेश दिनांक 10.07.2015 पारित कर विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 को गैर कानूनी रूप से अनाधिकृत रूप से लाभ देने की चेष्ठा की है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रकरण में आदेशिका के अनुसार अपीलान्ट को नोटिस जारी करने का आदेश नही दिया था और न ही किसी मौका रिपोर्ट के लिये कोई आदेश पारित किया गया था इसके बावजुद दिनांक 10.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को अनाधिकृत रूप से लाभ पहूँचाते हुये प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारित कर आदेश दिनांक 10.07.2015 पारित कर दिया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुऐ इस तथ्य को बिलकुल नजरअन्दाज कर दिया कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी के अन्तर्गत जो आराजी का उल्लेख किया गया है उसके चारों दिशाओं में कब्रिस्तान, राजकीय भूमि व निजी खातेदारों की आराजी है तथा विपक्षीगण द्वारा कब्रिस्तान व राजकीय भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, वह एक संवेदनशीन प्रकरण है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को न मालूम किस अज्ञात कारण से लाभ पहुँचाने के लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को कानूनी ज्ञान नही होने के कारण सहवन से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 10.07.2015 प्रकरण संख्या 1584/2015 के विरूद्ध एक निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष पेश की थी, उक्त निगरानी को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 23.01.2017 के आदेश द्वारा यह कहते हुऐ निर्णित की कि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत निगरानी संधारण योग्य नही होने से प्राथमिक आपत्ति के आधार पर खारिज की गई, निगरानीकार को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वे भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत निदेशक भू अभिलेख संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर विधि विरूद्ध पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 को निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी ने उक्त अपील निर्णय दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.01.2017 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 14.03.2017 को होने पर अपने अधिवक्ता से निर्णय दिनांक 23.01.2017 की सत्य प्रतिलिपि व पत्रावली प्राप्त कर बिना देरी किये, देरी माफी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 वाके ग्राम बनवास पटवार हल्का माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 447/156 रकबा 0.20 हैक्टयर भूमि के खातेदार काश्तकार जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में दिर्ज रिकार्ड है, उक्त प्रश्नगत भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 22.06.2012 को तहसीलदार बुहाना से सीमाज्ञान करवाया गया था तथा अपीलान्ट वाके ग्राम बनवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 156/2 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 156/4 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 156/8 रकबा 0.82 हैक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि से सटी हुई भूमि हाल खसरा नम्बर 157 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.01 हैक्टयर काबिल काश्त राजकीय खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपने खातेदरी की उक्त जमीन का तहसीलदार से सीमाज्ञान करवाया है लेकिन अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 156/8 की सीमा रेस्पोडेन्ट की भूमि से सटी हुई है, अपीलान्ट उक्त सीमाज्ञान दिनांक 22.06. 2012 का बार–बार उल्लंघन कर रहा है, इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को कई मर्तबा निवेदन कर सीमाज्ञान का प्रयास किया परन्तु अपीलान्ट अपने नापाक मंसुबों से बाज नही आ रहा है तथा दिनांक 28.06. 2015 को रेस्पोडेन्ट ने अपनी खातेदारी की भूमि में आकर अपीलान्ट को समझाया कि वह रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की प्रश्नगत भूमि की सीमाज्ञान से छेड़छाड़ ना करे तथा उसके द्वारा बार–बार किये जा रहे सीमाज्ञान के उल्लंघन को रोके परन्तु वह हाल खसरा नम्बर 157, 158 जो कि राजकीय भूमि है उसकी आड़ लेकर रेस्पोडेन्ट से उलझने लगा तथा धमकी दी कि वह इस सीमाज्ञान को नही मानता है और कहा कि तुम्हारे जो जी में आये सो करों, वह तहसीलदार के आदेश को नही मानता है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त सीमाज्ञान का बार–बार उल्लंघन करने से व सीमाज्ञान को नही मानने से वह सुलह का प्रयास दिनांक 28.06.2015 को खत्म होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है जिस पर खसरा नम्बर 447/156 रकबा 0.20 हैक्टयर का फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 22.06.201 के अनुसार पत्थरगढी व तारबंदी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी होने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई की जाकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी करने का आदेश नही दिया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी यही जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक08.07.2015 को प्रस्तुत किया गया है एवं दिनांक 10.07.2015 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जिससे यही प्रतीत होता है अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर नही देकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2015 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट की अपील को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।